



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 863]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 2017/ चैत्र 6, 1939

No. 863]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 2017/CHAITRA 6, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2017

का.आ. 966(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों से परामर्श के पश्चात् भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 372(अ) तारीख 5 फरवरी, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 1, 5 और 23 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित सेशन न्यायालय	धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
“1	आंध्र प्रदेश	न्यायालय, महानगर सेशन न्यायाधीश, विशाखापत्तनम	कृष्णा, गुन्टूर, प्रकासम, पश्चिम गोदावरी, चित्तूर, अनंतापुर, कडप्पा, कुरनूल, नेल्लौर, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, श्रीकाकुल्लम और पूर्वी गोदावरी के सेशन खंड तथा विशाखापत्तनम और कृष्णा जिले के महानगर सेशन खंड

5	छत्तीसगढ़	न्यायालय IV, अपर जिला न्यायाधीश, रायपुर, छत्तीसगढ़	समस्त छत्तीसगढ़ राज्य
23	सिक्किम	गंगटोक स्थित न्यायालय, जिला और सेशन न्यायाधीश (पूर्व)	समस्त सिक्किम राज्य।"

[फा. सं. सी-18015/3/2013-एडी.ईडी]

संतोष कुमार, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना का.आ. सं. 372(अ) तारीख 5 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2017.

**S.O. 966(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) and in consultation with the Chief Justices of the respective High Courts, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 372(E), dated the 5<sup>th</sup> February, 2016, namely :—

In the Table to the said notification, for serial numbers 1, 5 and 23 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	State or Union territory	Court of Session designated as Special Court under the Prevention of Money - laundering Act, 2002	Area specified for trial of offence punishable under section 4 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	Andhra Pradesh	Court of Metropolitan Sessions Judge, Visakhapatnam	Sessions Divisions of Krishna, Guntur, Prakasam, West Godavari, Chittoor, Anantapur, Kadapa, Kurnool, Nellore, Visakhapatnam, Vizianagaram, Srikakulam and East Godavari and Metropolitan Sessions Divisions of Visakhapatnam and Krishna District.
5.	Chhattisgarh	Court of IVth Additional District Judge, Raipur, Chhattisgarh	Entire State of Chhattisgarh.
23.	Sikkim	Court of District and Sessions Judge (East) at Gangtok	Entire State of Sikkim."

[F. No. C-18015/3/2013-Ad.ED]

SANTOSH KUMAR, Under Secy.

**Note:** The principal notification was published vide number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016.